



Office : 0291-2545066
Secy. : 0291-2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR – 342 001

e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
Web Site : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No BCR/

1933

Date : 30.03.2017.

श्रीमान अध्यक्ष/सचिव

राज्य में स्थित समस्त बार संघ

महोदयजी,

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के एडहॉक सदस्यों की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2017 को जयपुर में हुई । इस बैठक में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया की वर्तमान में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा, लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया द्वारा एडवोकेटस एक्ट, 1961 में प्रस्तावित संशोधन बिल के खिलाफ दिनांक 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) को भारत वर्ष के समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालयों में कार्य से दूर रहने का जो निर्णय लिया गया है, उसे स्वीकार किया जाता है ।

अतः आपसे अनुरोध है की उपरोक्त निर्णयानुसार आप द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावे ।

भवदीय,

(राजेन्द्र पाल मलिक)
सचिव



Member

Office : 0291-2545066
: 0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR - 342 001

e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No. BCR/

Dated.....

दिनांक 29.03.2017

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान के एडहॉक सदस्यों की बैठक आज दिनांक 29.03.2017 (बुधवार) को जयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में एडहॉक कमेटी के 24 सदस्यों में से 16 सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया के सदस्य भी उपस्थित थे।

बैठक में बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया से प्राप्त प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया द्वारा एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में प्रस्तावित संशोधन बिल के खिलाफ दिनांक 31.03.2017 को भारतवर्ष के सभी अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में कार्य से दूर रहने का जो निर्णय लिया गया है, उसे स्वीकार किया जाता है तथा सचिव, बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान को निर्देश दिया गया है कि इस संदर्भ में जरूरी सूचना राजस्थान में स्थित सभी बॉर संघों को भेजी जावे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एडहॉक कमेटी का एक प्रतिनिधि मण्डल बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया के निमंत्रण पर दिल्ली में दिनांक 08.04.2017 को होने वाली बैठक में हिस्सा लेगा तथा वहाँ पर केन्द्रिय विधि मंत्री व विधि राज्यमंत्री जी से इस संबंध में मुलाकात करेगा।

(राजेन्द्र पाल मलिक)

सचिव,

बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान संपादक महोदय,

.....

जयपुर।

से अनुरोध है कि वे इस प्रेस विज्ञप्ति को अपने सभी संस्करणों में प्रकाशित करवाने हेतु श्रम करावें।